

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर(राज.)

संख्यांक: 01

दिनांक:-  
30.9.16

प्रबन्धक

सूरज स्कूल कर्मपुरा टपूकडा  
तिजारा।

रजि०


विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण - पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 17.05.2016 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पाश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से सूरज स्कूल कर्मपुरा टपूकडा, तिजारा (विद्यालय का नाम पते सहित) को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अंग्रेजी के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नहीं है ओर उसमें किसी भी रूप में कक्षा - 8 के पश्चात मान्यता/ सम्बन्धन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस -पडौस के कमजारे वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा -12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान धर्म जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध /निर्धारित आधार पर उत्तवर्ती चाहा गया है।

  
PRINCIPAL  
SURAJ SCHOOL  
VIL Karampur, P.O. Tapukara  
Teh. Tijara, Dist. Alwar  
Rajasthan 301 117

  
Secretary  
Suraj Shiksha Samiti  
Mahendergarh (Haryana)

7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-

1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
5. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ ही जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापकों जिनके पास स अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रविवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षा कमरों की संख्या

प्रधानाध्यापक- सह-कार्यालय-सह-भण्डार कक्ष


बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड- डे -मील पकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुँच


अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता


  
**PRINCIPAL**  
**SURAJ SCHOOL**  
Vill. Karampur, P.O. Tapukara  
Teh. Tilara, Dist. Anand  
Rajasthan 301007

  
**Secretary**  
**Suraj Shiksha Samiti**  
**Mahendergarh (Haryana)**

11. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या, किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओ की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक..... 01 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
19. प्रत्येक सत्र का भवन सुरक्षा बनवाया जावे जिसकी प्रति कार्यालय मे जमा करावे।
20. विद्यालय भवन /स्थान/नाम मे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जावे।
21. कक्षाएँ वर्षवार क्रमोन्नति की जावे।

भवदीय

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा अलवर

  
PRINCIPAL  
SURAJ SCHOOL  
VIL Karampur, P.O. Tapuk  
Teh. Tijara, Dist. Alwar  
Rajasthan 301002

  
Secretary  
Suraj Shiksha Samiti  
Mahendergarh (Haryana)